बीएसईएस के नाम पर उपभोक्ताओं से ठगी करने वाले दो फर्जी बिजलीकर्मी पकड़े

- **साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पब्लिक ने सोनू कुमार और धन सिंह को पकड़गर पुलिस के हवाले किया**
- **पूर्वी दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी में फर्जी बिजली कर्मियों का कारनामा सीसीटीवी में कैद**

नई दिल्लीः 24 अगस्त, 2017। फर्जी बीएसईएस बधिकारी बनकर, उपभोक्ताओं से बिजली चोरी के नाम पर ठगी करने वाले दो लोग पकड़े गए हैं। सोनू कुमार और धन सिंह नामक ये ठग, फर्जी कागजात व पहचानपत्र के सहारे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक उपभोक्ता से ठगी कर रहे थे। गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इधर, पूर्वी दिल्ली की दिलशॉद कॉलोनी में भी बिजली चोरी के नाम पर ठगी की एक घटना सामने है। यहां भी फर्जी बिजलीकर्मी एक उपभोक्ता के यहां पहुंचे थे। उपभोक्ता को कुछ शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया। हालांकि, उससे पहले ही फर्जी बिजलकर्मी भाग गए, लेकिन पूरा मामला सीसीटीवी और ऑडियो रेकॉर्डिंग में दर्ज हो चुका है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस उन ठगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

खुद को बीएसईएस का एन्फोर्समेंट अधिकारी बताते हुए चार–पांच ठग तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में रहने वाले श्री नरेन्द्र कुमार के घर पहुंचे और मीटर को चेक करने लगे। फिर, मीटर को टेंम्पर्ड बताते हुए उनलोगों ने घर के निवासी को डराना शुरू कर दिया कि अब बिजली चोरी के जुर्म में उन्हें 5 लाख रूपये का जुर्माना किया जाएगा। खुद को वास्तविक एन्फोसर्मेंट अधिकारी साबित करने के लिए उन्होंने उस जगह की विडियोग्राफी भी की ताकि यह संदेश जाए कि वे बिजली चोरी का प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं। डरे हुए उपभोक्ता ने 12,000 रूपये में उनसे समझौता कर लिया, हालांकि ठगों ने उनसे 18,000 रूपये की मांग की थी।

लेकिन, संयोगवश वास्तवित बीएसईएस अधिकारी भी उस वक्त, उस मोहल्ले में कार्य कर रहे थे। जब उन्होंने सह बात सुनी, तो उन्हें कुछ शक हुआ और वे घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। साथ ही, एक जागरूक दुकानदार ने आसपास के लोगों को भी इस बारे में तुरंत बताया।

बात फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे। लोगों को पहुंचते देखकर ये ठग जल्द से जल्द वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन भागने से पहले वे ठगी के रूपये ले लेना चाहते थे। इस बीच, स्थानीय लोगों ने सोनू कुमार और धन सिंह को पकड़ लिया, जबकि बाकी ठग वहां से भागने में सफल हो गए। लोगों ने पुलिस को बुलाकर ठगों को उनके हवाले कर दिया। भगोड़े ठगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया है। इस सिलसिले में गोविन्दपुरी थाने में आईपीसी की धाराओं 419/420/468/471/34 के तहत एक एफआईआर –– संख्या 0331 –– भी दर्ज की गई है।

इससे पहले, बीएसईएस ने 7 ठगों को पकड़ा था, जिनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इनमें से चार मध्य दिल्ली के न्यू राजेन्द्र नगर के इलाके में पकड़े गए थे, जबकि तीन दक्षिण दिल्ली के सराय जुलेना से पकड़े गए थे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस के सहयोग से ऐसे 30 ठगों को पकड़ा गया है।

सलाहः

बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, जो उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं और साथ ही, कंपनी की छवि भी खराब कर रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि मामला चाहे कुछ भी हो, उपभोक्ता ऐसे तत्वों के दबाव या झांसे में न आएं और उनके झूठे आश्वासनों में भी न फंसें। किसी भी शर्त पर उन्हें पैसे न दें। एन्फोर्समेंट से संबंधित सभी तरह के जुर्माने, फाइन आदि का भुगतान बीएसईएस ऑफिस में ही हो सकता है, उपभोक्ता के घर पर नहीं।

उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके यहां बीएसईएस प्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है, तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र देखें। सही पहचान पत्र में ये तथ्य होने चाहिए: 1. बीएसईएस लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. जारी होने की तारीख, 4. वैधता (वैलिडिटी), 5. कर्मचारी की तस्वीर, 6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, 7. कर्मचारी के हस्ताक्षर, 8. कर्मचारी संख्या/ पहचान पत्र संख्या, 9. ठेकेदार का नाम/ लोगो/ पता, 10. लेमिनेशन

जैसे ही उपभोक्ताओं को कुछ शक हो, वे तुरंत निकटतम बीएसईएस ऑफिस को इस बारे में बताएं, या फिर निम्नलिखित नंबरों पर फोन करें 26273311/ 39999707– बीआरपीएल व 8010930719/39999808 – बीवाईपीएल पर फोन करें। या, 100 नंबर पर पुलिस को बताएं।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।